रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1761] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 2014/भाद्र 15, 1936
No. 1761] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 2014/BHADRA 15, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, .2014

का. आ. 2250 (अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एल पी जी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि मे जो इससे उपाबद्व अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाऐ जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एस.सी. सरकार, डब्ल्यू. बी. सी. एस. (प्रशासनिक) सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारी, पारादीप–हल्दिया–दुर्गापुर एल पी जी पाइपलाइन एवम् पारादीप–हल्दिया–बरौनी पाइपलाइन ऑगमेंटेशन योजना, डाकघर दुईल्या, आन्दुल–मौरी, मौरीग्राम, हावड़ा–711 302 (पश्चिम बंगाल) को लिखित रूप मे आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

पुलिस स्टेशन : धनियाखाली		जिला : हूगली			राज्य : पश्चिम बंगाल
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
1	नऔपारा– 193	311	00	00	30
2	छोटा खाँपुर–192	525	00	00	90
		577	00	00	20

[फा. सं. आर. – 25011/6/2012–ओ.आर–I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2014

S. O. 2250 (E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia a pipeline should be laid in State of West Bengal by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri S.C. Sarkar, W.B.C.S (Exe.) Retd.Competent Authority Paradip – Haldia – Durgapur LPG Pipeline & Augmentation of Paradip – Haldia –Barauni Pipeline Project, P.O. Duillya, Andul - Mouri, Mourigram, Howrah, 711-302 (West Bengal)

SCHEDULE

P S: Dhaniakhali		**District : Hooghly**	**State : West Bengal**		
Sl. No.	**Name of the Mouza**	**Khasra No.**	**Area**		
			Hectare	**Are**	**Square meter**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Naopara - 193	311	00	00	30
2	Chhota Khanpur - 192	525	00	00	90
		577	00	00	20

[F. No. R- 25011 /6/ 2012- OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.